कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता।

क्रमांक : स्था. / 2024 / ....18.......... दिनांक:....19....जनवरी, 2024

–: कार्यालय–आदेश :–

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो. / परीक्षा प्रकोष्ठ / अधीनस्थ न्यायालय / आशुलिपिक / 2023 / 1515 दिनांक 28.07.2023 राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)151/2022/67 दिनांक 16.01.2024 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड तृतीय (हिन्दी) के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह / दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी. (नियम) / 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23700 / – रुपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

S.N.	Name of Candidate	Date of Birth	Merit No.	Roll No.	Gender	Original Category	Allotted Category
01	AMIT PUROHIT S/O SANTOSH KUMAR PUROHIT , MUNDHRO KA CHOWK, KHEDHENI KI PIROL, BIKANER-334001	10-12-1999	37	21864	M	EWS	GEN
02	MANISH KUMAR S/O MANGILAL , GALI NO. 05, RAMPURA BASTI, LALGARH DIST.-BIKANER -334004	14-02-1998	45	44241	M	SC	GEN
03	YOGESHWAR SHARMA S/O DURGESH SHARMA , PACHETIYA HILL, NEAR JWALAMUKHI TEMPLE, JODHPUR -342001	27-05-1994	48	44543	M	OBC	GEN
04	GAJENDRA S/O BHAGIRATH, INDRA COLONY, PRATAP NAGAR, JODHPUR-342003	06-02-2000	233	25944	M	SC	SC
05	PAWAN BANJARA S/O GANPATLAL, GALI NO.02, RAJIV GANDHI COLONY, MANGRA PUNJALA, K.U.M. MANDORE ROAD, JODHPUR-342007	18-03-1995	234	44311	M	SC	SC

..............02

19.01.2024

 कार्यालय आदेश क्रमांक 18 दिनांक 19 जनवरी, 2024

1. सभी नियुक्तियॉं आशुलिपिक ग्रेड तृतीय की संयुक्त परीक्षा, 2023 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णायाधीन रहेंगी।

2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।

4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।

7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।

8. इस आदेश की प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।

10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय शैक्षणिक योग्यता व कम्प्युटर योग्यता के संबंध में समस्त अंकतालिका/प्रमाण–पत्र असल व एक–एक छाया प्रति साथ लेकर उपस्थित आवें।

19.01.2024

(मदनलाल भाटी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
~~मेड़ता~~ । 19/01/2024

––03–– कार्यालय आदेश क्रमांक....18....... दिनांक....19.जनवरी, 2024

रजिस्टर्ड डाक से प्राप्ति रसीद सहित

क्रमांक :..398- 405.........स्था. दिनांकः...19......जनवरी, 2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. प्रभारी अधिकारी, (लेखा शाखा) जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता ।
2. श्री अमित कुमार पुरोहित पुत्र श्री संतोष कुमार पुरोहित, मुन्धडो का चौक, खेडानी की पिरोल, बीकानेर –334001
3. श्री मनीष कुमार पुत्र श्री मांगीलाल, गली नम्बर 05, रामपुरा बस्ती, लालगढ़ जिला बीकानेर, 334004
4. श्री योगेश्वर शर्मा पुत्र श्री दुर्गेश शर्मा, पचेटिया हिल, ज्वालामुखी मन्दिर के पास, जोधपुर–342001
5. श्री गजेन्द्र पुत्र श्री भागीरथ, इन्द्रा कॉलोनी, प्रताप नगर, जोधपुर–342003
6. श्री पवन बंजारा पुत्र श्री गणपतलाल, गली नम्बर 02, राजीव गांधी कॉलोनी, मंगला पूंजला, के.यू.एम. मंडोर रोड, जोधपुर–342007
7. व्यक्तिगत पत्रावली श्री अमित पुरोहित / श्री मनीष कुमार / श्री योगेश्वर शर्मा / श्री गजेन्द्र / श्री पवन बंजारा.
8. रक्षित पत्रावली ।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
मेड़ता। 19/01/2024